डाभीम जिल ०न०:– 47/2023

उनवान:– पूरणमल बनाम तुलसीराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न०:–47/2023

रजू दिनांक:– 21.06.2023

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. पूरणमल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी नांगल सुल्तानपुर तहसील टोडाभीम।

सायल

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र शिम्भूदयाल ब्राह्मण
2. अजीत पुत्र तुलसीराम ब्राह्मण
3. दीपक पुत्र तुलसीराम ब्राह्मण

निवासीयान बदलेटा खुर्द तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

गैरसायलान

अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जिला-गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट सायल

श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक:–30.04.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम बदलेटा खुर्द की आराजी ख०न० 431/0.32, 431/1148/0.26 है० कुल रकवा 0.58 है० यल बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

वर्णित आराजीयात से गैरसायलान या किसी अन्य दीगर व्यक्ति का किसी भी प्रकार कोई संबध ना तो आज है, ना ही पूर्व मे रहा है। सायल बतौर काश्तकार खातेदार काबिज एवं । है। सायल व उसका भाई हरिप्रसाद बहामी बटवारा कर काश्त करते चले आ रहे थे। ाद ने अपने हिस्सा 1/2 को निरमा व राजकुमारी को विक्रय कर दिया और खातेदारी दर्ज करवा दी है।

बॉका दिनांक 20.06.2023 को सायल अपनी उक्त आराजी मे बाजरे की फसल काश्त ट साफ सफाई कर रहा था कि अचानक गैरसायलान एक राय होकर हाथो मे लाठी, डण्डा कब्जे काश्त व खातेदारी पर गालिया देते हुये आ गये तथा ऐलानिया धमकी दी। सायल व अकेला वृद्व व्यक्ति है। सायल के दो बच्चे बहार नौकरी करते है। इसका नाजायज फायदा र कब्जा करना चाहते है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक है।

सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन के साबित होने से सायलान के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को भी की कोई क्षति नही है जबकि अस्थाई जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। की पूर्ति किसी प्रकार से किया जाना संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बदलेटा खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:14 IST
Reason: SelfAttested

आराजी ख0न0 431/0.32, 431/1148/0.26 है0 कुल रकवा 0.58 है0 मे सायल बहिस्सा 2 हिस्से मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे तथा रन सायल की भूमि पर कब्जा नही करे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। सायल ने जरिये वकालतन जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र. मे वर्णित आराजीयात ग्राम बदलेटा मे होना स्वीकार है शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर की गई है अस्वीकार है। सायल द्वारा उक्त राजी मे दर्ज 1/2 हिस्से की आरजी को साविक मे ही गैरसायल न0 1 व 2 को विकय कर जा करा दिया। आराजीयात पर सायल का कोई कब्जा काश्त नही है। बल्कि भूमि के 1/2 से की आराजी पर मौके पर आज भी गैरसायलान काबिज एवं दखील है। सायल ने वर्णित राजीयात को दिनांक 1.6.2014 को 3,11,000/– मे गैरसायल न0 1 को विकय कर दिया और ी दिन से आज तक गैरसायलान काबिज एवं दखील है। जिसमे गैरसायलान ने सरसो फसल श्त की है। सायल द्वारा मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है अस्वीकार है सायल द्वारा मद मे समस्त तथ्य बिल्कुल गलत एवं कपोल कल्पित है। बॉका दिनांक को गैरसायलान की यलान से किसी भी प्रकार की कभी कोई धमकी नही दी। सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा ने 1/2 हिस्से की विकय शुदा आराजी से मुकरने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, काबिले खारिज है। जबाब के विशेष विवरण मे कथन किया है कि सायल ने अपने 1/2 हिस्से आरजी को दिनांक 01.06.2014 को 3,11,000 मे गैरसायल न0 1 को बेचान कर दिया और नांक 30.05.2014 को 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर इकराररनामा वास्ते विक्रय दिनांक 01.06.2014 बहक गैरसायल न0 1 के ह कमे तहरीर कराकर गवाहान दिलीप जोगी, मदन मोहन शर्मा ने स्ताक्षर कर कब्जा करा दिया उसी दिन से गैरसायल न0 1 काबिज एवं दखील है। गैरसायल न0 ने अपनी कय शुदा आराजी का उप पंजीयक कार्यालय मे रजिस्ट्री कराने को कहा तो सायल ने फ इन्कार कर दिया और बदयान्तिपूर्व यह प्रार्थना पत्र मय दावा स्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के लाफ वास्तविक तथ्यो को छिपाकर माननीय न्यायालय मे पेश किया है।

उक्त वर्णित आराजीयात का एक दावा मु0न0 5/23 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई षेधाज्ञा मु0न0 3/23 उनवानी तुलसीराम बनाम पूरणमल दावा बावत तकमील मुहायदा व स्थाई षेधाज्ञा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोडाभीम मे जैरकार हैं। जो वास्ते तनकीयात यत है। इस प्रकार जब माननीय सिविल न्यायालय मे वाद लम्बित है तो सायल माननीय यालय से इस प्रार्थना पत्र मे कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र श कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हैवी कॉस्ट खारिज फरमाया ावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई, सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित थ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीया तमे सायल बहिस्सा /2 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिससे गैरसायलान या किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कसी भी प्रकार का कोई संवध नही है। सायल बतौर काश्तकार खातेदार काबिज एवं दखील है। ायल व उसका भाई हरिप्रसाद बहामी बटवारा कर काश्त करते चले आ रहे थे। हरिप्रसाद ने अपने हस्सा 1/2 को निरमा व राजकुमारी को विकय कर दिया और खातेदारी दर्ज रिकार्ड करवा दी है। ष 1/2 हिस्से मे सायल काबिज काश्त है। सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। सायलान के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नही होगी जबकि अस्थाई जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से किया जाना संभव नही है।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस पाबन्द फरमाया जावे कि वर्णित आराजीयात मे सायल बहिस्सा 1/2 हिस्से मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन कि वर्णित आराजी मे दर्ज 1/2 हिस्से की आरजी को गैरसायल न0 1 व 2 को विकय कर करा दिया। आराजीयात पर सायल का कोई कब्जा काश्त नही है। बल्कि भूमि के 1/2 की आराजी पर मौके पर आज भी गैरसायलान काबिज एवं दखील है। सायल ने वर्णित जीयात को 3,11,000/– मे गैरसायल न0 1 को विकय कर दिया और उसी दिन से आज तक ज है। सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा अपने 1/2 हिस्से की विकय शुदा आराजी से ने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, सायल ने अपने 1/2 हिस्से की आरजी को क 01.06.2014 को 3,11,000 मे गैरसायल न0 1 को बेचान कर दिया और 100 रू0 के स्टाम्प पर इकरारनामा गवाहान दिलीप जोगी, मदन मोहन शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा करा उसी दिन से गैरसायल न0 1 काबिज एवं दखील है। वर्णित आराजीयात का एक दावा मु0न0 23 मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 3/23 उनवानी तुलसीराम बनाम पूरणमल दावा ा तकमील मुहायदा व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोडाभीम मे ार हैं। जो वास्ते तनकीयात नियत है। इस प्रकार जब माननीय सिविल न्यायालय मे वाद ात है तो सायल माननीय न्यायालय से इस प्रार्थना पत्र मे कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कॉस्ट खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया ।। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या । मे खसरा किता 2 कुंल रकवा 0.58 है0 मे सायल 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा मा देवी पत्नि विकम सिह हिस्सा 1/4 तथा राजकुमारी पत्नि बत्तीलाल हिस्सा 1/4 के तेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायल ने अपने 1/2 से को जरिये इकरारनामा गैरसायल न0 1 को विकय कर दिया उसी आधार पर प्रार्थना पत्र मे ित आराजीयात को लेकर गैरसायल न0 1 ने माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश टोडाभीम मे वाद व ना पत्र पेश किया है जो तनकीयात मे जैरकार है। जब प्रकरण न्यायिक न्यायालय मे विचारधीन ो इस न्यायालय से कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोडाभीम मे राधीन होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष मे ात नही होने से दिनांकः– 21.06.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ सायल का ना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:44:14 IST
Reason: SelfAttested